Ex.P.-478

S-141

कथन –श्री कमलेश देवांगन

थाना	– राज्य आर्थिक अपराध अनवेषण ब्यूरो, रायपूर (छ.ग.)
अप कमांक	– 09 / 2015.04.13
धारा	– 13(2) r/w 13(1) (d) PC Act 1988, एवं धारा –120– B, 109, भा.द.वि.
दिनांक समय	– 08 / 04 / 2015 के 17.00 बजे
स्थान कथन	– ब्यूरो कार्यालय रायपुर
नाम एवं पिता	– श्री कमलेश देवांगन पिता श्री एशराम देवांगन उम्र 28 वर्ष
पता	– सत्यम विहार कालोनी ,मंजीत गीन सिटी के पास, रायपुरा रायपुर (सुषमा विला)
व्यवसाय	– एकाउण्टेंट व्यास होलिडेज प्रा. लि. 207, SLT Water Front , गौरवपथ , तेलीबांधा , जी.ई. रोड़ रायपुर मो. 9826149070

....

मै कमलेश देवांगन पूछे जाने पर बता रहा हूं कि व्यास हालिडे प्रा. लि. एक ट्रेवल एजेंसी है, मै वहां एकाउण्टस का कार्य देखता हूं। हमारीं एजेंसी के सचालक श्री कीर्ति व्यास निवासी चौबे कालोनी , रायपुर हैं। एजेसी द्वारा डोमेस्टिक एयर टिकट, टूर पैकेज, इन्टरनेशनल एयर टिकट एवं टूर पैकेज, वीजा, ट्रेवल इंश्योरेंस, फारेन एक्सचेंज का कार्य कस्टमर्स के लिए किये किया जाता है।

आज मुझे हमारी एजेंसी व्यास हालिडे प्रा. लि. का पत्र दिनांक 03 / 03 / 15, रिसिप्ट नं. 6610707, 6610461 एवं 6610352 एवं Invoice दिखाया गया। हमारी एंजेसी के पत्र दिनांक 03.03.2015 के माध्यम से रिसिप्ट संबंधित Invoice की सत्यापित प्रति ब्यूरो को उपलब्ध कराया गया है। यह पत्र मेरे द्वारा एजेंसी की ओर से भेजा गया है, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। ऐजेंसी कें रिकार्ड के अनुसार रिसिप्ट नं. 6610707 दिनांक 10.11.14 के द्वारा एजेंसी के Invoice No. 6210313 दिनांक 08.11.14 राशी 6600 /– रूपये का पेमेंट प्राप्त हुआ था। यह Invoice श्री यश टुटेजा के नाम से होटल हयात अमृतसर मे दिनांक 21.11.14 से 22.11.14 तक एक रूम बुक करने का चार्ज है।

मुझे दिखाये गये रिसिप्ट नं. 6610461 दिनांक 08.0814 के द्वारा श्री अनिल टूटेजा से एजेंसी के Invoice No. 6600254 से 6000259 दिनांक 16 / 07 / 14 एवं Invoice No. 6100464 से 6100470 दिनांक 14 / 07 / 14 एवं Invoice No. 6100476 दिनांक 16 / 07 / 14 का Payment प्राप्त किया गया है। रिसिप्त नं. 6610352 दिनांक 04.07.14 के द्वारा श्री अनिल टुटेजा से एजेंसी के Invoice No. 6210169 दिनांक 01.08.14, 6210166 दिनांक 02.08.14, 6200403 दिनांक 07.08.14 तथा 6200324 से 6200330 दिनांक 19.07.14 का पेमेंट श्री अनिल टुटेजा से प्राप्त किया गया है।

हमारी एजेंसी के रिकार्ड के अनुसार श्री अनिल टुटेजा द्वारा 9 व्यक्यिो (1) गुरूचरण सिंह होरा (2) अनिल कुमार टुटेजा (3) मिनाक्षी टुटेजा (4) यश टुटेजा (5) अनुश्री टुटेजा (6) अलाउद्दीन फरिस्ता (7) मुक्ति फरिस्ता (8) मनदिप चावला तथा (9) अमितोज चावला के स्विटजरलैण्ड का पैकेज टूर बुक कराया गया था। इस पैकेज टूर के डोमैस्टिक एयर टिकट, फारेन एयर टिकट तथा होटल बुकिंग चार्ज हेतु उपरोक्त Invoice कुल राशि 953650 /–रूपये का हुआ था। इन Invoice के विरूध दिनांक 04.07.14 कों 450000 /–रूपये तथा दिनांक 08.08.14 को 500000 /–रूपये श्री अनिल टुटेजा से प्राप्त होने पर उन्हे कमशः रिसिप्ट नं. 6610352 एवं 6610461 दिया गया था। यह पेमेंट अनिल टुटेजा की ओर से नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर के श्री गिरीश शर्मा द्वारा दिया गया था। श्री अनिल टुटेजा नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी है तथा गिरीश शर्मा उनके अधिनस्थ कार्य करते है। श्री टुटेजा द्वारा हमारी एजेंसी से पहले भी कई बार एयर टिकट बुक करा चुके है इसलिए मै उन्हे जानता हू। यही मेरा कहना है।

R.O.A.C., before me.

8/04/15

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़